

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खंडा जिला बारा (राज.)

मांक

११/२५

दिनांक २५.०९.२५

— :: निर्णय :: —

प्राथी श्री बिन्धी लाल पुत्र/हस्ता श्री रामचंद्र न. पाथन
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सागोडा पटवारी मण्डल दीबोडा तहसील खंडा
 जिला बारा की चालू जमावंदी सम्वत् २०७६-७७ के खाता संख्या ३३ में खातेदार, गैरखातेदार एवं
 नाम/जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसी सम्मानजनक रूप से
बैरवा अंकित किया जावे। प्राथी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी दीबोडा
 से करवाने पर पटवारी ने जाति चमार के बजाय बैरवा
 करना उचित बताया। तहसीलदार खंडा ने भी उक्त खाते में जाति चमार
 के बजाय बैरवा करना उचित बताया।
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रां. 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957
 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू. अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम सागोडा के खाता संख्या ३३ में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमार
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से बैरवा दर्ज करने का
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार खंडा तदनुसार न. न. रिकॉर्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 खंडा जिला बारा
 उपखण्ड अधिकारी
 खंडा (बारा)